



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह ।

आदेश की तिथि	ऑनलाइन लगान रद्द वाद संख्या 05 / 2022-23 कुन्ती देवी बनाम धनेश्वर साहु वगै०	आदेश पर की गई कार्रवाई
22.12.2022	<p>यह वाद आवेदिका कुन्ती देवी, पति-डोमन साव द्वारा दिनांक 16.07.2022 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिये गये आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। आवेदिका कुन्ती देवी ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके द्वारा गिरिडीह अंचल अन्तर्गत मौजा-लखारी, थाना-पचम्बा, खाता नं०-42 के खतियानी रैयत चुल्हन तेली के पतोहु एवं पोता मो० परवतिया एवं डोमन साव से रजिस्टर्ड डीड नं०-4329 दिनांक 09.04.1986 को खाता सं०-42 अन्तर्गत प्लॉट नं०-59 रकवा-04 डी० के मध्ये 02 डी०, प्लॉट नं०-60, रकवा-09 डी० के मध्ये 06 डी०, प्लॉट नं०-61, रकवा 17 डी० के मध्ये $4 \frac{1}{4}$ डी० तथा प्लॉट नं०-63, रकवा-20 डी० के मध्ये 05 डी० (कुल रकवा $17 \frac{1}{4}$ डी०) क्रय किया तथा अंचल कार्यालय, गिरिडीह से नामांतरण के पश्चात पंजी ।। में आवेदिका कुन्ती देवी के नाम से जमाबंदी चलता आ रहा है, किन्तु उनके अधिक उम्र को देखते हुए उनके दोनो पुत्रों (1) धनेश्वर साव एवं (2) सुखदेव साव द्वारा उनकी खरीदगी जमीन को हड़पने के नीयत से फर्जी बँटवारानामा बनाकर अंचल कार्यालय, गिरिडीह में अपने-अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लिया है जो गलत है। मेरे द्वारा अपने पुत्रों के नाम से कोई बँटवारानामा नहीं किया गया है तथा मेरे जमीन का जो जमाबंदी मेरे पुत्रों द्वारा कराया गया है वह जाली तथा षडयंत्रपूर्ण है। अतः मेरे द्वारा रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से क्रय किये गये जमीन का मेरे पुत्रों के नाम से किये गये जमाबंदी को रद्द कर थाना नं०-101, मौजा-लखारी, खाता नं०-42, प्लॉट नं०-59, 60, 61 एवं 63 अन्तर्गत रकवा $17 \frac{1}{4}$ डी० जमीन का पंजी ।। में मेरे नाम से पुनः जमाबंदी कायम कर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करवाने की कृपा की जाए।</p> <p>विपक्षी नं० 1 धनेश्वर साहु का तर्क है कि:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदिका (प्रथम पक्ष) विपक्षी नं०-01 धनेश्वर साहु की माँ है जिसने 19.04.1986 को वादगत जमीन मो० परवतिया (विपक्षी की दादी) एवं डोमन साहु (विपक्षी के पिता) से रजिस्टर्ड डीड द्वारा जमीन क्रय किया था।2. वे आवेदिका कुन्ती देवी के बड़े पुत्र हैं तथा जब उनकी माँ (कुन्ती देवी)	

- बुढ़ी हो चली तब घरेलु झगड़ो को देखते हुए कुन्ती देवी, डोमन साव तथा उनके दोनों पुत्रों द्वारा तय किया गया कि दोनों पुत्र अलग हो जाए।
3. लगभग 12 वर्षों तक कुन्ती देवी विपक्षी नं०-01 के साथ रह रही थी किन्तु विगत 1 वर्ष से आवेदिका अपने छोटे पुत्र सुखदेव साहु के साथ रह रही है तथ सुखदेव साहु की पत्नी रीता देवी द्वारा बहकाकर आवेदिका से जमाबंदी रद्धवाद सं०-05/2022-23 करवाया है।
 4. आपसी बँटवारा के आधार पर धनेश्वर साहु, सुखदेव साहु ने अपनी माँ की सहमति से सगे संबंधियों एवं अंचल अधिकारी, गिरिडीह के समक्ष घरैया बँटवारा के आधार पर वादगत जमीन का बँटवारा कर दोनों भाइयों के नाम से आधी-आधी जमीन का मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आवेदन दिया।
 5. तत्पश्चात अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा धनेश्वर साहु के नाम से 8.62 डी० जमीन का लगान रसीद निर्गत किया गया तथा विपक्षी नं०-01 नियमित रूप से लगान रसीद कटाता आ रहा है।

विपक्षी नं० 2 सुखदेव साहु का तर्क है कि:-

1. यह वाद मेरी माँ कुन्ती देवी द्वारा मेरे बड़े भाई तथा मुझ पर किया है।
2. मेरे बड़े भाई (विपक्षी नं०-01) द्वारा गलत तरीके से बँटवारानामा बनाकर जमाबंदी हेतु मेरे नाम से आवेदन किया था।
3. उक्त जमाबंदी आवेदन मेरे द्वारा नहीं किया गया था, न ही बँटवारानामा में मेरी सहमति ली गयी थी।
4. हमारा संयुक्त परिवार है तथा हमलोगो के बीच आज तक कोई बँटवारा नहीं हुआ है।
5. मौजा-लखारी अन्तर्गत खेवट सं०-01, खाता सं०-42, प्लॉट नं०-59, 60, 61 एवं 63 अन्तर्गत कुल रकवा $17 \frac{1}{4}$ डी० रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से क्रय कर मेरी माँ दखलकार चली आ रही है।
6. द्वितीय पक्ष नं०-01 (धनेश्वर साहु) नियम के विरुद्ध एवं गलत नियत से जाली बँटवारानामा बनाकर अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाया है।
7. अतः जमाबंदी रद्धवाद अपील सं०-05/2021-22 मे प्रथम पक्ष (आवेदिका) के हक मे आदेश पारित करने की कृपा करे।

निष्कर्ष

उभय पक्षों के लिखित एवं मौखिक बहस तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादगत जमीन गिरिडीह अंचल अन्तर्गत मौजा-लखारी, थाना नं०-101, थाना-पचम्बा, खाता नं०-42, प्लॉट नं०-59, 60, 61 एवं 63




अन्तर्गत कुल रकवा $17 \frac{1}{4}$ डी0 जमीन रजिस्टर्ड डीड नं0-4329 दिनांक 09.04.1986 के माध्यम से आवेदिका कुन्ती देवी द्वारा क्रय किया गया था जिसका अंचल कार्यालय से नामांतरण एवं पंजी ।। मे जमाबंदी कायम होने के पश्चात से ही कुन्ती देवी दखलकार रही है किन्तु उनके बुढ़ापे को देखते हुए उनके दोनों पुत्रों द्वारा जमीन हड़पने की नियत से सादे कागज पर आपसी घरैया बँटवारा के आधार पर आधा-आधा जमीन अपने नाम से बँटवारा कर आवेदिका को उक्त जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया गया है। आवेदिका ने न्यायालय मे उपस्थित होकर यह भी तर्क दिया है कि उनके पुत्रों द्वारा उनका भरण-पोषण भी नहीं किया जा रहा है।

चुँकि वादगत जमीन आवेदिका की रजिस्टर्ड डीड द्वारा खरीदगी जमीन है अतः उनके जीवित काल मे बिना रजिस्टर्ड डीड के उन्हे उनके अपने जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। विपक्षी नं0-01(धनेश्वर साहु) द्वारा बँटवारानामा अंचल अधिकारी के समक्ष होने की बात कही गयी है किन्तु बँटवारानामा मे अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह बँटवारानामा झुठा साबित होता है।


अतः आवेदिका (प्रथम पक्ष) द्वारा दिये गये आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि मौजा-लखारी, खाता नं0-42, प्लॉट नं0-59, 60, 61 एवं 63 अन्तर्गत विपक्ष धनेश्वर साहु एवं सुखदेव साहु के नाम से कायम जमाबंदी को रद्ध करते हुए आवेदिका कुन्ती देवी के नाम से रजिस्टर्ड डीड से क्रय किये गये उक्त $17 \frac{1}{4}$ डी0 जमीन का जमाबंदी कायम कर उनके नाम से लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद को कार्रवाई समाप्त की जाती है।
उभय पक्षो को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गिरिडीह।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गिरिडीह।